

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 07.02.2021 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0043/2021 धारा 354(ग)/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मिथुन चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया निवासी डीहवां थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष को डिहवा थानाक्षेत्र मण्डुवाडीह से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- मिथुन चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया निवासी डीहवा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष।

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 प्रकाश सिंह चौहान चौकी प्रभारी कस्बा व हे0का0 मोहन कुमार थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 07.02.2021 को क्राइम ब्रांच वाराणसी व थाना सारनाथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विशाल कुमार नामक बालक का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 29.01.2021 को ग्राम पैगम्बरपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी से एक 09 वर्षीय बालक विशाल कुमार पुत्र मंजय कुमार के अपने घर से अचानक गायब हो जाने के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पर मु0अ0सं0 0060/2021 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त बालक की तलाश टीम गठित कर की जा रही थी कि दिनांक 31.01.2021 को प्रातः वादी के घर पर एक पत्र पड़ा हुआ मिला। जिसमें बच्चे के बदले रु0 50,000/- लेकर चौबेपुर रोड पर अकेले आने तथा न आने पर बच्चे को मार देने की बात अंकित की गयी थी। दिनांक 01.02.2021 को अपहृत बच्चे विशाल कुमार उपरोक्त का शव बी0एस0 स्कूल के पीछे स्थित एक प्लाट से बरामद हुआ। जिसके बाद उक्त अभियोग को धारा 364(ए)/302 भादवि में तरमीम किया गया।

आज दिनांक 07.02.2021 को क्राइम ब्रांच वाराणसी व थाना सारनाथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-060/2021 धारा 364(ए)/302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र छविनाथ निवासी पैगम्बरपुर थाना सारनाथ, वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष को नक़्खीघाट पुल के पास थाना सारनाथ जनपद वाराणसी से समय करीब 06.25 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*विवरण पूछताछ-\*

अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसका मृतक विशाल कुमार के घर पर नियमित आना जाना था। उसका घर भी पड़ोस में ही है। अभियुक्त धर्मेन्द्र ने कुछ माह पूर्व से जुए में पैसे हार जाने के कारण कई लोगो से पैसे उधार ले रखे थे तथा उसने अपना मोबाइल फोन भी गिरवी रख दिया था। कर्जा देने वाले व्यक्तियों द्वारा पैसा वापसी का दबाव बनाया जाने लगा। अभियुक्त धर्मेन्द्र को लगता था कि मंजय कुमार उपरोक्त के पास प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनवाने के बाद पैसे बचे हुए है। विशाल के घर पर उसकी बहन की शादी ब्याह की चर्चा भी उसने सुनी थी। जिससे उसको लगता था कि मंजय के पास पैसे होंगे। इसी कारण अभियुक्त द्वारा विशाल का अपहरण कर उसके पिता से पैसे वसूलने की योजना बनायी गयी।

दिनांक 29.01.2021 को दोपहर में अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार, मंजय कुमार के घर गया, उस समय विशाल घर पर खाना खा रहा था, विशाल की मां व उसकी बड़ी बहन अपने मायके गये हुए थे, मंजय कुमार भी घर के बाहर था। अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा विशाल को पतंग दिलाने के बहाने से बी0एस0 स्कूल के पास जाने की बात कहकर नीचे नुक्कड़ पर बुलाया गया। नुक्कड़ पर विशाल को अपने पीछे आने की बात कहकर अभियुक्त उसे लेकर स्कूल के पीछे प्लाट पर गया। जहां प्लाट के अन्दर झाड़ियों में ले जाकर उसने गला दबाकर विशाल कुमार की हत्या कर दी। इसके पश्चात अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार विशाल के परिजनों के साथ उसकी तलाश करने में उनके साथ साथ घूमने लगा, जिससे कि उसके ऊपर किसी को शक न हो।

अगले दिन शाम को उसके द्वारा एक चिट्ठी लिखकर विशाल के घर पर फेंकी गई, जिसमें लड़के के बदले 50,000/- रुपये लेकर चौबेपुर रोड पर आने व न आने पर लड़के को मार देने की बात अंकित की गई थी।

अभियुक्त धर्मेन्द्र की निशानदेही पर घटना के समय पहने हुये कपड़े, उसके द्वारा जो चिट्ठी लिखकर मृतक के घर पर रखी गयी थी उस कागज का दूसरा टुकड़ा जिस पर एक बैंक का नाम व मोनोग्राम बना हुआ था तथा पेन बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा उक्त पत्र में अंकित हस्तलेख के मिलान के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### \*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*


- धर्मेन्द्र कुमार पुत्र छविनाथ निवासी पैगम्बरपुर थाना सारनाथ, वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष

### \*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

1. उ.नि. सुनील कुमार यादव थाना प्रभारी थाना सारनाथ वाराणसी
2. व.उ.नि. राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी थाना सारनाथ वाराणसी
3. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी आशापुर थाना सारनाथ वाराणसी
4. उ0नि0 अश्वनी राय थाना सारनाथ वाराणसी
5. उ0नि0 मिथिलेश कुमार चौकी पुरानापुल थाना सारनाथ वाराणसी
6. हे0का0 आलोक सिंह थाना सारनाथ वाराणसी
7. हे0का0 बूटा सिंह यादव थाना सारनाथ वाराणसी
8. का0 प्रशान्त कुमार सरोज थाना सारनाथ वाराणसी
9. उ.नि. संतोष कुमार यादव चौकी प्रभारी लालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
10. निरीक्षक श्री अश्वनी पाण्डेय (क्राइम ब्रांच प्रभारी) मय क्राइम टीम



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 39/2021 दिनांक: फरवरी, 07/2021

\*प्रेस नोट\*

\*थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से साथ दो शातिर वाहन चोर शैलेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना राजभर व रिकू राजभर गिरफ्तार\*

दिनांक 06.02. को 2021थाना लालपुर-पाण्डेयपुर के उराजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी 0नि0 पाण्डेयपुर मय हमराहपुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्तिवाहन/ में चौकी क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बघवावीर बाबा मंदिर पाण्डेयपुर के निकट मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर 0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के बघवावीर बाबा मंदिर पाण्डेयपुर के पास पहुँचकर मंदिर के पास मोटरसाइकिल के साथ खड़े दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनसे मोटरसाइकिल का कागजात मांगा गया तो कागजात न दिखाकर गोल-मोल जवाब देने लगे। कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त व्यक्तियों ने अपना नाम पता शैलेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना राजभर पुत्र स्वब 0रसाती निवासी खालिसपुर कला थाना जलालपुर जनपद जौनपुर व दूसरे ने रिकू राजभर पुत्र चौथी राजभर निवासी- मंगारी प्रसादपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी बताया, साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर साइकिल चोरी की है, जो हम लोगों ने वर्ष 2017 में जनपद जौनपुर के लाईन बाजार से जनवरी माह में चोरी की थी। जामा तलाशी में अभियुक्तगण के पास से चार अदद वाहन के अवैध रजिस्ट्रेशन पेपर, ₹0-300/- नगद व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कीजा रही है।



## \*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

- शैलेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना राजभर पुत्र स्व० बरसाती निवासी खालिसपुर कला थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र-50 वर्ष।
- रिकू राजभर पुत्र चौथी राजभर निवासी- मंगारी प्रसादपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी उम्र-24 वर्ष।

## \*बरामदगी का विवरण-\*

- 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल संख्या: यूपी-62 एएल-8028 हीरो एच एफ डीलक्स, इंजन नं०-HA11EGD9H11953 व चेचिस नं०-MBLHA11EUD9H08180
- 04 अदद वाहनों के अवैध रजिस्ट्रेशन पेपर
- 01 अदद मोबाइल फोन।
- ₹0-300/- नगदा

## \*आपराधिक इतिहास-\*

### \*अभियुक्त-शैलेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना राजभर\*

1. मु०अ०सं० 0198/2018 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना जलालपुर जनपद जौनपुर
2. मु०अ०सं० 0256/2018 धारा विद्युत अधिनियम,2003 थाना जलालपुर जनपद जौनपुर
3. मु०अ०सं० 0191/2020 धारा 3/25आयुध अधिनियम ,1959 थाना जलालपुर जनपद जौनपुर
4. म०अ०सं० 0190/2020 धारा 411/413/414/467/468/471 भादवि थाना जलालपुर जनपद जौनपुर

### \*अभियुक्त-रिकू राजभर\*

1. मु०अ०सं० 0137/2020 धारा-147/323/452/504/506 भादवि थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी।

## \*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

1. उ०नि० राजकुमार पाण्डेय- चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर, उ०नि० आदित्य कुमार सिंह, का० देवमणि त्रिपाठी, का० हरिन्द्र सिंह यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 40/2021 दिनांक: फरवरी, 07/2021

\*प्रेस नोट\*

\*थाना आदमपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त बच्चू उर्फ अवी यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय किये गये 04 अदद दो पहिया वाहन, अनुमानित कीमत रु-01,05,000/- की गैंगेस्ट एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी\*।

थाना आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-27/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त बच्चू उर्फ अवी यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी के-62/17 सप्तासागर थाना कोतवाली वाराणसी, एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। बच्चू उर्फ अवी यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से 04 अदद दो पहिया वाहन क्रमशः 01- स्कूटर एक्टवा संख्या:यूपी-65 बीए-1309 अनुमानित कीमत रु0-25,000/- 02. मोटर साइकिल होण्डा सी0वी0 ट्विस्टर संख्या: यूपी-65 बीएफ-2522 अनुमानित कीमत रु0-20,000/-, 03. मोटर साइकिल बजाज पल्सर संख्या:यूपी-65 बीके-8327 अनुमानित कीमत रु0-30,000/- व 04. मोटर साइकिल होण्डा शाइन संख्या: यूपी-65 एडब्लू-7017 अनुमानित कीमत रु0-30,000/- (कुल कीमत रु0-01,05,000/-) को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 07-02-2021 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगेस्ट एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

\*जब्त सम्पत्ति का विवरण-\*

- 01- स्कूटर एक्टवा संख्या:यूपी-65 बीए-1309, अनुमानित कीमत रु0-25,000/- ।
02. मोटर साइकिल होण्डा सी0वी0 ट्विस्टर संख्या: यूपी-65 बीएफ-2522, अनुमानित कीमत रु0-20,000/- ।
03. मोटर साइकिल बजाज पल्सर संख्या:यूपी-65 बीके-8327, अनुमानित कीमत रु0-30,000/- ।
04. मोटर साइकिल होण्डा शाइन संख्या: यूपी-65 एडब्लू-7017, अनुमानित कीमत रु0-30,000/-।

\*सम्पत्ति जब्त करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

1. उ0नि0 संतोष तिवारी थाना प्रभारी आदमपुर, उ0नि0 बृजेन्द्रनाथ सिंह, हे0का0 नन्द सिंह, हे0का0 संजय कुमार व का0 नरसिंह कुमार, थाना आदमपुर वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 41/2021 दिनांक: फरवरी, 07/2021

\*प्रेस नोट\*

थाना कैण्ट पुलिस द्वारा शातिर चोर राजेश सिंह उर्फ बन्टी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01  
अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर बरामद

आज दिनांक 07-02-2021 को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर अम्बेडकर चौराहे से एक शातिर वाहन चोर राजेश सिंह उर्फ बन्टी पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम पवारेपुर झरझौना थाना चोलापुर जिला वाराणसी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*पूछताछ विवरण-\*

पूछताछ के दौरान अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं आज कचहरी जनपद वाराणसी में अपने मुकदमे की तारीख पता करने आया था। विकास भवन के सामने डुप्लीकेट चाभी से कई मोटर



साईकिलो में चेक करने के उपरान्त एक मोटर साईकिल में चाभी लग गयी, जिसे लेकर मैं अम्बेडकर चौराहे के पास पहुँचा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

### \*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- राजेश सिंह उर्फ बन्टी पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम पवारेपुर झरझौना थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष।

### \*बरामदगी का विवरण-\*

- 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल संख्या: यूपी-65 बीई-2760, हीरो स्प्लेण्डर ।

### \*आपराधिक इतिहास-\*

1. मु204 0सं0अ0/406 धारा 2019/504/भादवि थाना चोलापुर वाराणसी 506।
2. मु270 0सं0अ0/8 धारा 2019/एनडीपीएस एक्ट थाना चोलापुर वाराणसी 22।
3. मु313 0सं0अ0/147 धारा 2015,323,394,427,452,504,भादवि थाना चोलापुर 506 वाराणसी।
4. मु441 0सं0अ0/342 धारा 2018,406,419,420,भादवि थाना चोलापुर वाराणसी 506।
5. मु0स0अ0-083/2021 धारा 379/ 411भादवि थाना कैण्ट वाराणसी ।
6. मु64 0सं0अ0/3 धारा 2003/आर्म्स एक्ट थाना चोलापुर वाराणसी 25।

### \*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

- प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट- राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 अजय प्रताप सिंह-चौकी प्रभारी कचहरी, हेबृजेश कुमार 0का0, हे0काराम गोपाल 0 व का चन्द्रभान यादव 0थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।





वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 42/2021 दिनांक: फरवरी, 07/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 07-2-2021 को थाना लोहता के उ0नि0 शैलेश प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में चाँदपुर चौराहे पर मौजूद थे कि इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0स0 41/2021 धारा-354/354 (घ)/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रीतम जायसवाल उर्फ शुभांशु, मुढैला तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए मुढैला तिराहे पर पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- प्रीतम जायसवाल उर्फ शुभांशु पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी लहरतारा शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

- उ0नि0 शैलेश प्रताप सिंह व का0 राहुल गौड़ थाना लोहता, जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*‘मिशन शक्ति’\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 40 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 1838 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 245 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 37 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 957 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 35 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।